

SC 05/2019
state vs Ramesh Singh.

06.06.2026.

And PP 3401.

अभिप्रेत रूपसिंह मफरूर है।

साक्ष्य अभियोजन में गवाह PW (20) डॉ. अशोक सिंह के बयान लेख बहुरी किया गया। गवाह 44 की गवाह सं. (18) एवं गवाह सं. (24) AW से एवं गवाह सं. (23) AW 5000 से लेख होकर पत्रावली वापस लाकर अभियोजन दिनांक 15/06/2026 को पेश हो। म.प.

अरि
673-675
06/6/26

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
पोंकरण, जिला-जैसलमेर (राज.)

15/06/2026.

And PP 3401.

अभिप्रेत रूपसिंह मफरूर है।

गवाहान को जारी AW, BW ऊपर न्यायाधीश को
ई। पुनः जारी होकर पत्रावली वापस लाकर अभि-
दिनांक 20.06.2026 को पेश हो। म.प.

पुनश्च :

इसने लिखने पर गवाह सं. (18) प्रेमसिंह -

अभिप्रेत आया जिसके बयान PW (21) के कथ

में लेख बहुरी किया गया। अब उन गवाह (18)

को तलब नहीं किया जावे। पत्रावली पूर्व हुकरी-

दिनांक को पेश हो। म.प.

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
पोंकरण, जिला-जैसलमेर (राज.)

only
23 & 24